**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 95**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014, 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**सड़क दुर्घटनाओं के कारण**

95. **डा. आर. लक्ष्मणन:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों की पहचान करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश भर में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने हेतु कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्णन्)**

(क) और (ख): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से एशिया पैसेफिक के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) की एशिया पैसेफिक सड़क दुर्घटना डाटाबेस परियोजना के अनुसार विकसित किए गए एक फार्मेट में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र करता है । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान पक्ष के द्वारा इन आंकड़ों का विश्‍लेषण किया जाता है तथा प्रतिवर्ष ‘भारत में सड़क दुर्घटना’ के शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन जारी किया जाता है । प्रकाशन का नवीनतम अंक 2013 में जारी किया गया है । इस रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार हैं:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | सड़क दुर्घटनाओं के कारण | प्रतिशतता |
| 1 | चालक की गलती | 78% |
| 2 | साइकिल सवार की गलती | 0.8% |
| 3 | पैदलयात्री की गलती | 2% |
| 4 | मोटर वाहन की स्‍थिति में कमी | 1.9% |
| 5 | सड़क स्‍थिति में कमी | 1.4% |
| 6 | मौसम की परिस्‍थिति | 1% |
| 7 | कोई अन्‍य कारण | 14.9% |

**(ग) और (घ):** मंत्रालय नें देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाए है:-

1. सरकार द्वारा राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति बनायी गयी है। इस नीति में विभिन्‍न नीतिगत उपाय जैसे कि जागरूकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्‍थापित करना, इंटेलीजेंट परिवहन का अनुप्रयोग सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन इत्‍यादि सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना के प्रोत्‍साहित करने पर बल देना।
2. सरकार ने सड़क सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में राष्‍ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन किया है। मंत्रालय ने सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे राज्‍य सड़क सुरक्षा परिषद् और जिला सड़क सुरक्षा समितियों की स्‍थापना करें।
3. मंत्रालय ने सभी राज्‍यों को सलाह दी है कि वे सड़क सुरक्षा के चार उपायों नामत:
   1. शिक्षा (ii) प्रवर्तन (iii) इंजीनियरी (सड़कों और वाहनों) (iv) आपातकालीन चिकित्‍सा के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने के लिए बहुफलकी नीति अपानाएं।
4. सड़क सुरक्षा को आयोजना चरण पर सड़क डिजाइन का अत्‍यंत महत्‍वूपर्ण हिस्‍सा बनाया गया है।
5. राष्‍ट्रीय राजमार्गों/महामार्गों के चयनित सड़क खंड़ों की सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा।
6. ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्‍थानों की स्‍थापना।
7. हेलमेट, सीटबेल्‍ट, पावर स्‍टीयरिंग, पिछला दृश्‍य मिरर जैसे वाहन सुरक्षा मानकों को सख्‍त बनाना।
8. सड़क सुरक्षा जागरूकता के संबंध में प्रचार अभियान।

\*\*\*\*